न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– अखिलेश कुमार पिपल (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :–06/2017 (विविध)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00144

उनवान

1. सौमोती वेवा बाबू
2. रामफूल
3. नेहना — पुत्र स्व0 बाबू
4. रामदास
5. बिट्टू
6. विमला — पुत्री स्व0 बाबू
7. रामलाडली

समस्त जातिगण धोबी समस्त निवासीगण ग्राम मौहारी तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी, जिला धौलपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी दि0 15.05.2017 प्र0स 86/16 उनवान सरकार बनाम सौमोती।

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे अधिवक्ता अपीलाण्ट।
श्री गजेन्द्र सिंह राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय दिनांक :– 26.03.2021

1. यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी के निर्णय दिनांक 15.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि ग्राम मौहारी तहसील बसेडी का आराजी खसरा नम्बर 435 रकवा 14 विस्वा बन्दोबस्त पूर्व आकृति में आयताकार था। पुराने खसरा नम्बर का 435 रकवा 14 विस्वा का बन्दोबस्त विभाग द्वारा नवीन खसरा नम्बर 448 रकवा 0.18 है0 बनाया गया है, जो आकृति में त्रिभुजाकर है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर 425 जिसका नया नम्बर 436 है, जो राजकीय भूमि है। इसी खसरा नम्बर में से त्रिभुजाकार आकृति में नवीन नम्बर 448 कायम किया गया है, जो गलत जगह पर स्थित होने के कारण वाद का कारण है। नवीन खसरा नम्बर 448, खसरा नम्बर 446 के स्थान पर होना सही है। अतः वाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

प्रस्तुत कर राजस्व नक्शा के इन्द्राज बदल कर वाद में राज्य सरकार को अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2017 से स्वीकार करते हुये, खसरा नम्बर 448 को 446 के स्थान पर तथा खसरा नम्बर 448 के स्थान को 436 में शामिल करते हुए खसरा नम्बर 446 पूर्व के स्थान पर कायम करने के आदेश प्रदान किये। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रैस्पो0 को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय ना तो अपीलाण्ट को कोई सूचना ही दी गयी है एवं ना ही उनको सुना गया है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में पारित किया गया है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाबदेही व अपना पक्ष रखने हेतु अवसर नहीं मिला है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि तहसीलदार बसेडी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं यह माना है कि राजस्व नक्शें में जो गलती की है वह बन्दोबस्त विभाग द्वारा की गयी है। ऐसी सूरत में बन्दोबस्त विभाग द्वारा की गई गलती को दुरूस्ती इन्द्राज का वाद लाने पर ही विधि अनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। अपीलाण्ट्स विवादित आराजी पर अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित भूमि कभी सिवायचक नहीं रही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय हर सूरत में काबिले खारिज है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तृत विवेचना उपरान्त ही निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट की समस्त आपत्तियॉ सारहीन है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट पर सम्मन की तामील हो चुकी है एवं सम्मन में दिनांक 05.05.2017 अग्रिम तारीख पेशी नियत होना अंकित है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.03.2017 को, पीठासीन अधिकारी के दौरे पर होने के कारण प्रकरण में अग्रिम पेशी दिनांक 05.05.2017 को पेश होने का उल्लेख है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2017 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गयी है एंव पत्रावली दिनांक 10.03.2017 के पश्चात् सीधे दिनांक 15.05.2017 को राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत बरई, कैम्प में प्रस्तुत करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इससे पूर्व दिनांक 11.02.2017 की आदेशिका में उल्लेख किया कि पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई पक्षकारान में समझौता नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 10.03.2017 को पेश हो। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश स्पष्टतः एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त हैं कि उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जावें। अपीलाण्ट मुताबिक राजस्व रिकार्ड विवादित आराजी खसरा नम्बर 448 के खातेदार काश्तकार हैं और अपीलाधीन आदेश से उनके

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

उक्त खसरा नम्बर को राजस्व नक्शें में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस तारीख पेशी हेतु अपीलाण्ट को सम्मन की तामील प्राप्त हुई थी। उक्त पेशी पर कोई आदेशिका, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं लिखी गयी एवं उक्त पेशी दिनांक को प्रकरण में अग्रिम पेशी कौनसी नियत की गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से विदित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली सीधे राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत बरई में रखकर, आदेश दिनांक 15.05.2017 एक पक्षीय रूप से पारित किया है। परन्तु उस दिन हेतु भी अपीलाण्ट को कोई सूचना दी गयी हो। ऐसा कोई नोटिस/सम्मन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के आदेश दिनांक 15.05.2017 खारिज किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, विधिवत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.05.2021 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 26.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.03.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील अधिकारी एवं
कार्य0भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर